न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुनील आर्य (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 42/2019 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2019/00143

उनवान

1. मुरारीलाल
2. छकोडीलाल उर्फ कृष्ण मुरारी
3. पूरन

} पुत्रगण श्रीमती रामकटोरी पुत्री लक्ष्मण सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 11 राजाखेडा जिला धौलपुर।

4. गीता पुत्री श्री रामकटोरी पत्नी ललित कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील फतेहाबाद जिला आगरा उ0प्र0।
5. रामशंकर पुत्र डालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रन्छोरपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.................................अपीलाण्ट

बनाम

1. रामप्रकाश
2. रामनिवास उर्फ श्रीनिवास

} पुत्रगण रामचरन जाति ब्राहम्ण नि0 हाल आबाद भगवानपुर तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

3. गयादेवी पुत्री रामचरन पत्नि शांती शर्मा
4. विधावती पुत्री रामचरन पत्नी हरिओम शर्मा
5. वासुदेवी पुत्री रामचरन पत्नी शिवराम

} जाति ब्राहम्ण नि0 वाटरवर्क्स की टंकी के पास ग्राम पिनाहट जिला आगरा।

6. मिथलेश पुत्री रामचरन पत्नी उमाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विपरावली, पिनाहट जिला आगरा उ0प्र0।
7. नत्थीलाल
8. राजेन्द्र

} पुत्र स्व0 श्री हरप्रसाद जातिगण ब्राहम्ण निवासी ग्राम पछाय हाल निवासी ग्राम भगवानपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

9. शारदा देवी पत्नी शशिकान्त पुत्री रामदुलारी जाति ब्राहम्ण निवासी धीरपुरा टूला शमशाबाद तहसील व जिला आगरा उ0प्र0।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।
11. बैंक आफ इंडिया शाखा राजाखेडा जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. मीरा देवी पत्नी पप्पू पुत्री रामदुलारी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गयाप्रसाद की घडी भमरौली जिला आगरा।

.... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :— 46/2019 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2019/00147

उनवान

1. रामप्रकाश
2. रामनिवास उर्फ श्रीनिवास

} पुत्रगण रामचरन जाति ब्राहम्ण हाल नि0 ग्राम भगवानपुर तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

3. ग्यादेवी पुत्री रामचरन पत्नी शांती शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वाटर वर्क्स की टंकी के पास ग्राम पिनाहट जिला आगरा।
4. नत्थीलाल
5. राजेन्द्र

} पुत्रगण स्व0 हरप्रसाद जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम पछाय हाल निवासी ग्राम भगवानपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

6. शारदा देवी पत्नी शशीकान्त पुत्री रामदुलारी जाति ब्राहम्ण निवासी धीरपुरा टूला शमशाबाद तहसील व जिला आगरा उ0प्र0।

.................अपीलाण्ट

बनाम

1. छकोडीलाल उर्फ कृष्णमुरारी
2. मुरारीलाल
3. पूरन

} पुत्रगण स्व0 श्रीमती रामकटोरी पुत्री लक्ष्मण सिंह जातिगण ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं0 11 राजाखेडा जिला धौलपुर।

4. गीता पुत्री स्व0 रामकटोरी पत्नी ललित कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महाजपुर तहसील फतेहाबाद जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
5. रामशंकर पुत्र डालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रन्छोरपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।
7. बैंक आफ इंडिया शाखा राजाखेडा जरिये शाखा प्रबन्धक।

.... असल रैस्पो0

8. विद्यावती पुत्री रामचरन पत्नी हरिओम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वाटरवर्क्स की टंकी के पास ग्राम पिनहाट जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
9. वासुदेवी पुत्री रामचरन पत्नी शिवराज जाति ब्राहम्ण निवासी वाटर वर्क्स की टंकी के पास ग्राम पिनहाट जिला आगरा उ0प्र0।
10. मिथलेश पुत्री रामचरन पत्नी उमाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिपरावली पिनाहट जिला आगरा उत्तर प्रदेश।
11. मीरा देवी पत्नी पप्पू पुत्री रामदुलारी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ग्याप्रसाद की गढी भमरौली जिला आगरा उत्तर प्रदेश।

.... तरतीवी रैस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.09.2019 प्रकरण संख्या क्रमशः 39/2007 शीर्षक रामकटोरी बनाम रामप्रकाश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा।

अभिभाषकगण :–

1. श्री अमित उपाध्याय मुरारीलाल एवं छकोडीलाल पक्ष।
2. श्री श्रीगोपाल शर्मा अभिभाषक रामप्रकाश पक्ष ।

निर्णय

दिनांक :–18.02.2025

1. यह दोनों अपीले इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में विवादित आराजी एवं पक्षकार समान होने के कारण एक ही निर्णय से निस्तारित की जा रही हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. अपील संख्या 42/2019 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी मुरारीलाल व छकोडीलाल वगै0 की माता रामकटारी की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रामप्रकाश वगै0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नाहिला, भगवानपुर व गढी करीलपुर के खातेदार काश्तकार पक्षकारान के पूर्व पुरूष लक्ष्मन सिंह थे। लक्ष्मन सिंह के एक पुत्र फतेह सिंह व दो पुत्रियॉ रामकटोरी व सरवती

हुयी। फतेह सिंह की मृत्यु लक्ष्मन सिंह के जीवनकाल में ही हो गयी। लक्ष्मन सिंह का भी निधन करीब 38 वर्ष पूव हो गया है। अतः लक्ष्मन सिंह की विरासत उनकी पुत्रियॉ रामकटोरी व सरवती एवं मृत पुत्र के वारिसान ने प्राप्त की तथा वह प्रत्येक 1/3–1/3 भाग के खातेदार काश्तकार हुये। दावा दायरी से 25 दिवस पूर्व जब वादीगण गॉव आये तो प्रतिवादीगण रामप्रकाश वगै0 विवादित आराजी में वादीगण के खातेदारी अधिकारो से साफ इंकारी हो गये। जब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकल आदि निकलवायी तो ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी अकेले नेकराम के नाम दर्ज है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से आंशिक स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट मुरारीलाल वगै0 ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील संख्या 46/2019 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी मुरारीलाल व छकोडीलाल वगै0 की माता रामकटारी की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रामप्रकाश वगै0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नाहिला, भगवानपुर व गढी करीलपुर के खातेदार काश्तकार पक्षकारान के पूर्व पुरूष लक्ष्मन सिंह थे। लक्ष्मन सिंह के एक पुत्र फतेह सिंह व दो पुत्रियॉ रामकटोरी व सरवती हुयी। फतेह सिंह की मृत्यु लक्ष्मन सिंह के जीवनकाल में ही हो गयी। लक्ष्मन सिंह का भी निधन करीब 38 वर्ष पूव हो गया है। अतः लक्ष्मन सिंह की विरासत उनकी पुत्रियॉ रामकटोरी व सरवती एवं मृत पुत्र के वारिसान ने प्राप्त की तथा वह प्रत्येक 1/3–1/3 भाग के खातेदार काश्तकार हुये। दावा दायरी से 25 दिवस पूर्व जब वादीगण गॉव आये तो प्रतिवादीगण विवादित आराजी में वादीगण के खातेदारी अधिकारो से साफ इंकारी हो गये। जब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकल आदि निकलवायी तो ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी अकेले नेकराम के नाम दर्ज है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से आंशिक स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट रामप्रकाश वगै0 ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलाण्ट मुरारीलाल व छकोडीलाल के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि लक्ष्मन सिंह की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी होने के पश्चात् हुयी थी। उक्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है क्योंकि विवादित आराजी पर संवत 2017–20 तक की जमाबन्दी में लक्ष्मन सिंह का नाम अंकित है। लक्ष्मन सिंह के एक पुत्र व दो पुत्रियॉ हुयी। मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के पक्षकारान विवादित आराजी में 1/3–1/3 के खातेदार हैं। परन्तु लक्ष्मन सिंह की मृत्यु के बाद विवादित आराजी का नामान्तकरण विरासत के आधार पर अकेले फतेह सिंह के पुत्र नेकराम के नाम खोल दिया एवं पुत्रियों को छोड दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम नाहिला, व गढी करीलपुर की आराजी पर तो अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार दे दिये परन्तु भगवानपुर की आराजी बाबत् दावा खारिज कर दिया। जबकि

पत्रावली पर ग्राम भगवानपुर की आराजी बाबत् समस्त दस्तावेजी उपलब्ध थी। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील के साथ भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम भगवानपुर की आराजी पर भी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया एवं अपील अपीलाण्ट रामप्रकाश वगै0 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. अपीलाण्ट रामप्रकाश के अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नही है। लक्ष्मन सिंह की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पूर्व ही हो चुकी थी। अतः विवादित आराजी में लडकियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत प्रकार से लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के बाद होना माना है। हमने अधीनस्थ न्यायलय में अपने गवाहो से स्पष्ट साबित किया है कि लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पूर्व ही हो चुकी थी। अतः अपील अपीलाण्ट, रामप्रकाश वगै0 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किये जाने एवं मुरारीलाल वगै0 की अपील को भी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित आठ तनकियॉ कायम की गयी है एवं प्रत्येक तनकी को पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख की विस्तार से विवेचना की जाकर वादी मुरारीलाल व अन्य का दावा आंशिक रूप से डिक्री किया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी मुरारीलाल व अन्य व प्रतिवादी रामप्रकाश व अन्य द्वारा लक्ष्मन सिंह की मृत्यु को साबित करने वाला कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में जो बयान व जिरह हुयी हैं उनमें भी विरोधाभास है एवं लक्ष्मन सिंह की मृत्यु कभी 50–60 वर्ष व कभी 70–75 वर्ष पूर्व होना अनुमान ही बताये हैं। परन्तु जहॉ दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो तो वहॉ मौखिक कथनो का कोई महत्व नहीं रह जाता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी संवत 2012–15 में लक्ष्मन सिंह का नाम दर्ज है। जिससे यह भलीभॉत सिद्ध है कि लक्ष्मन सिंह की मृत्यु संवत 2015 तक नहीं हुयी। जमाबंदी संवत 2017–20 में लक्ष्मन सिंह के नाम को काटकर नेकराम के नाम विवादित आराजी के इंद्राज आये हैं। जिससे स्पष्ट साबित है कि लक्ष्मन सिंह की मृत्यु संवत 2015–2016 के बीच हुयी। अर्थात 1959 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। इस प्रकार वादी मुरारीलाल व अन्य विवादित आराजी में स्वयं को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी होते हैं। जहॉ तक ग्राम भगवानपुर की आराजी में खातेदारी अधिकारो की घोषणा का प्रश्न है। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम भगवानपुर की आराजी बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण ग्राम भगवानपुर की आराजी की हद तक दावा खारिज किया गया है। परन्तु वादी द्वारा हस्तगत अपील में ग्राम भगवानपुर की आराजी बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जमाबन्दी संवत 2014–18 में ग्राम भगवानपुर की विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1603, 1604, 2861/1, 2887 नेकराम के नाम दर्ज अभिलेख है। अतः वादी मुरारीलाल व अन्य उक्त आराजी में भी स्वयं को 2/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील संख्या 42/2019 वउनवानी मुरारीलाल बनाम रामप्रकाश स्वीकार की जाकर ग्राम

भगवानपुर की आराजी में वादी मुरारीलाल व अन्य को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं अपील संख्या 46/2019 वउनवानी रामप्रकाश बनाम छकोडीलाल सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

8. अतः आदेश है कि अपील संख्या 42/2019 वउनवानी मुरारीलाल बनाम रामप्रकाश स्वीकार की जाकर ग्राम भगवानपुर की आराजी में वादी मुरारीलाल व अन्य को 2/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं अपील संख्या 46/2019 वउनवानी रामप्रकाश बनाम छकोडीलाल सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी :: भरतपुर (राज.)